## ।। कार्यालय अध्यक्ष/कलेक्टर, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, संचालन एवं प्रबंधन समिति, नगपुरा, वि.ख. व जिला दुर्ग।।

फो.नं. 0788–2322345 E-mail: deomdmdurg@gmail.com

क्रमांक/स्वा.आ.उ.अं.मा.वि./संवि.नियु./2022/15750 दुर्ग, दिनांक 21-11-22

।। आदेश ।।

छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन के आदेश कमांक एफ/23–8/2020/20–तीन अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 17.08.2020 द्वारा शा.उ.मा.वि. नगपुरा, वि.ख. व जिला दुर्ग का प्रबंधन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, संचालन एवं प्रबंधन समिति, नगपुरा, वि.ख. व जिला दुर्ग को सौंपकर संविदा/प्रतिनियुक्ति हेतु पद स्वीकृत किया गया है। उक्त पदों पर, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, संचालन एवं प्रबंधन समिति, नगपुरा, वि.ख. व जिला दुर्ग के निर्देश में नामांकित चयन समिति द्वारा ज्ञा.क्रं./9295/सेजेस/संविदा नियुक्ति/2022/दुर्ग दिनांक 22.07.2022 संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए गए। उक्त विज्ञापन के परिपेक्ष्य में निर्धारित चयन प्रक्रिया पूर्ण कर, साक्षात्कार उपरांत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख पदनाम एवं विषय पर निम्नाकित शर्तो के अधीन सविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

| कमांक | नाम/पिता का नाम | पदनाम | विषय | पता |
|---|---|---|---|---|
| 01 | सुरभि कोठारे पिता/पति सुशील कोठारे | व्याख्याता (संविदा) | भौतिकशास्त्र | केदार बाड़ी वार्ड न 3 गली न 6 डोंगड़गढ़ राजनांदगांव |

1. संविदा नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी है। शासन द्वारा यदि उक्त शाला में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है अथवा चयनित कर्मचारी द्वारा किये गये कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय समिति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है।
2. संविदा नियुक्ति नियम 4 (2) एवं 3 में उल्लेखित पदों पर संविदा नियुक्ति समान्यतः 01 वर्ष के लिए होगी तथा विभाग के आवश्यकता, कार्यमूल्यांकन एवं निष्पादन पत्रक के आधार पर संतोषप्रद पाए जाने एवं शासन से पद निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति पुनः बढ़ाई जा सकती है।
3. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग संविदा नियुक्ति में दिये गये नियमानुसार अवकाश की पात्रता होगी।
4. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शंसित होंगे।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को संविदा सेवा के अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान ए मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
6. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में ए माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. राज्य शासन द्वारा संविदा नियुक्ति पर नियुक्त पदवार स्वीकृत एकमुश्त वेतन की पात्रता होगी। वेतन अलावा अन्य किसी प्रकार के अतिरिक्त वेतन भत्ता, महगाई भत्ता, प्रतिपूर्ति भत्ता, गृहभाडा भत्ता एवं किसी भी भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
8. संबंधित कर्मचारी को आदेश जारी के दिनांक से 15 दिवस के भीतर (अवकाश के दिनों को शामिल कि जावेगा) कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। नियत तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
9. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि असत्य पाये जाते है तो संबंधित तत्काल पद से पृथक कर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेगा।